

* ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 26/07/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में दरभंगा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु डी०एम०सी०एच० के टी०बी०डी०सी० से कमला नदी के छपरार घाट तक नाला निर्माण हेतु ग्राम-रसूलपुर कला में 1.3835 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण हेतु कुल ₹935.69389 लाख (नौ करोड़ पैंतीस लाख उनहत्तर हजार तीन सौ नवासी रु०) के अनुमानित लागत में से पूर्व में स्वीकृत राशि ₹609.89471 लाख (छः करोड़ नौ लाख नवासी हजार चार सौ एकहत्तर रु०) के पश्चात् शेष ₹325.79918 लाख (तीन करोड़ पच्चीस लाख उनासी हजार नौ सौ अठारह रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक- 597, दिनांक- 11.08.2017 एवं पत्रांक- 731, दिनांक- 25.10.2017 द्वारा सूचित किया गया कि DMCH के टी०बी०डी०सी० से कमला नदी के छपरार घाट तक नाला निर्माण योजना हेतु कार्यपालक अभियंता, जल निःस्सरण प्रमंडल, दरभंगा द्वारा कुल 09 अभिलेख में भू-अर्जन अधिनियम 1894 के तहत स्थायी भू-अर्जन हेतु पूर्व में अधियाचना प्राप्त हुई थी। प्राप्त अधियाचना के आधार पर भू-अर्जन की कार्रवाई प्रारम्भ कर 08 अभिलेख में निहित रकबा 17.34 एकड़ भूमि हेतु कुल 156 पंचाटी के लिए ₹167.13789 लाख (एक करोड़ सड़सठ लाख तेरह हजार सात सौ नवासी रु०) का पंचाट घोषित किया गया। घोषित पंचाट के विरुद्ध कुल 112 पंचाटी को ₹144.90005 लाख (एक करोड़ चौवालीस लाख नब्बे हजार पाँच रु०) का मुआवजा भुगतान करते हुए अधिग्रहित भूमि का आधिपत्य वर्ष 2009 में ही अधियाची पदाधिकारी को समर्पित किया जा चुका है। शेष लम्बित 44 पंचाटी के मुआवजा राशि ₹22.23784 लाख (बाईस लाख तेईस हजार सात सौ चौरासी रु०) को नई भू-अर्जन अधिनियम 2013 (RFCTLARR ACT-2013) की धारा 77(2) के अंतर्गत LARR Authority, दरभंगा को अग्रसारित किया जा चुका है।

2. उपरोक्त वर्णित 09 अभिलेखों में से एक अभिलेख का प्राक्कलन राशि के अभाव में व्ययगत होने के कारण अभी तक लम्बित है। व्ययगत कार्यवाही में सन्निहित भूमि, रसूलपुर कला ग्राम में अवस्थित है, जो पूर्व में अर्जित भूमि के बीच में है और इसमें कार्य कराये बगैर योजना की उपयोगिता नहीं रह जाती है।

4

3. तदनुसार नाला निर्माण योजना के लिए नई भू-अर्जन अधिनियम 2013 के तहत भूमि अर्जन किया जाना एकमात्र विकल्प है क्योंकि सतत लीज पर भूमि धारकों द्वारा भूमि दिये जाने की सम्भावना नहीं है। भू-अर्जन हेतु संभावित व्यय निम्नवत् है :-

		(राशि लाख में)
क्र० सं०	भू-अर्जन हेतु विभिन्न मद	राशि
1	2	3
1.	भूमि का मुआवजा (ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण गुणक 2 के आधार पर)	830.10
2.	आकस्मिकता मद में व्यय	05.00
3.	स्थापना मद में व्यय	83.01
4.	धारा- 30 (3) अतिरिक्त क्षतिपूर्ति राशि (अधिकतम दो वर्षों के लिए) @ 12%	49.806
5.	S.I.A हेतु प्रक्रियागत फीस	8.00
6.	लगान	0.06
कुल राशि		975.976
7.	पूर्व में उपलब्ध कराए गए राशि से व्यय के बाद अवशेष उपलब्ध राशि	(-) 40.28211
	वास्तविक राशि की आवश्यकता	935.69389

4. विभागीय स्तर से पूर्व में भू-अर्जन हेतु ₹168.59471 लाख विभागीय राज्यादेश संख्या- 94, दिनांक- 08.02.2016 एवं आवंटनादेश सं०- 95, दिनांक- 08.02.2016 तथा ₹441.30 लाख (चार करोड़ एकतालीस लाख तीस हजार रु०) विभागीय राज्यादेश सं०- 104, दिनांक- 02.02.2018 एवं आवंटनादेश सं०- 105, दिनांक- 02.02.2018 द्वारा नगर निगम, दरभंगा को स्वीकृत एवं आवंटित किया जा चुका है। तदनुसार अवशेष राशि ₹935.69389 - (₹168.59471+₹441.30) = ₹325.79918 लाख (तीन करोड़ पच्चीस लाख उनासी हजार नौ सौ अठारह रु०) है।

5. वर्णित स्थिति में दरभंगा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु डी०एम०सी०एच० के टी०बी०डी०सी० से कमला नदी के छपरार घाट तक नाला निर्माण हेतु ग्राम-रसूलपुर कला में 1.3835 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण हेतु अवशेष कुल ₹325.79918 लाख (तीन करोड़ पच्चीस लाख उनासी हजार नौ सौ अठारह रु०) मात्र भू-अर्जन मद से निम्नवत् स्वीकृत की जाती है :-

निकाय का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (3-4)	वर्तमान में स्वीकृत कुल अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6
नगर निगम, दरभंगा	डी०एम०सी०एच० के टी०बी०डी०सी० से कमला नदी के छपरार घाट तक नाला निर्माण हेतु ग्राम-रसूलपुर कला में 1.3835 एकड़ रैयती भूमि का अधिग्रहण।	935.69389	609.89471	325.79918	325.79918

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹325.79918 लाख (तीन करोड़ पच्चीस लाख उनासी हजार नौ सौ अठारह रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

6. स्वीकृत कुल ₹325.79918 लाख (तीन करोड़ पच्चीस लाख उनासी हजार नौ सौ अठारह रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के पश्चात् वर्णित भू-अर्जन हेतु जिला पदाधिकारी, दरभंगा को बैंक ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।
7. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के बाद T.V. न० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496/ वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।
8. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”
9. स्वीकृत राशि ₹325.79918 लाख (तीन करोड़ पच्चीस लाख उनासी हजार नौ सौ अठारह रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष- 0113- भू-अर्जन, विपत्र कोड- 48-2217031910113, विषय शीर्ष- 0113.31.05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण मद से राशि का व्यय किया जायेगा। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।
10. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।
11. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब०/ना०नि०-16-05/2007 के पृष्ठ सं०-.....122...../टि० पर दिनांक-24/7/2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....123...../टि० पर दिनांक-25/07/2018 को प्राप्त है।

14. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

05-07-18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-16-05/2007 33 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-26/07/18

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेष कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05-07-18

सरकार के विशेष सचिव।